संख्या–वे0आ0–2–467 / दस–54(एम) / 2008टी0सी0

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
कार्मिक विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–2 लखनऊः दिनांकः जुलाई, 2013

विषय– वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन (भाग–1) में राजकीय विभागों के उर्दू अनुवादक संवर्ग के सम्बन्ध में की गयी पूर्व संस्तुतियों पर पुनर्विचार करते हुए दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों के कार्यान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उर्दू अनुवादक संवर्ग के सम्बन्ध में वेतन समिति (2008) के नवम् प्रतिवेदन (भाग–1) के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों पर लिये गये निर्णयों, जो पत्र संख्या–वे0आ0–2–2057 / दस–54(एम) / 2008टी0सी0, दिनांक 08 सितम्बर, 2010 के माध्यम से आप को संसूचित किये गये थे, के क्रम में पुनर्विचार करते हुए समिति के पत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2011 के माध्यम से दी गयी संस्तुतियों / सुझाव पर निम्न निर्णय लिये गये हैं :–

(i) उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक पद पर पुनरीक्षित वेतन संरचना में वेतन बैण्ड–1 रू0 5200–20200 एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 तत्काल प्रभाव से अनुमन्य कराया जाय।

(ii) उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक संवर्ग के तृतीय स्तर के पद का पदनाम उर्दू अनुवादक सह प्रभारी अधिकारी (प्रशासन) के स्थान पर उर्दू अनुवादक सह प्रधान सहायक रखा जाय।

(iii) ऐसे विभाग जहॉ उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक के पदों की संख्या के 30 प्रतिशत का आगणन 01 से कम बनता हो, वहॉ उर्दू अनुवादक सह प्रधान सहायक का न्यूनतम् 01 पद रखा जाय।

इस प्रकार उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक के 03 पदों से कम संख्या वाले विभागों जहॉ 30 प्रतिशत का आगणन 01 से कम आता है, वहॉ संवर्ग के पदों का ढ़ॉचा निम्नानुसार निर्धारित

किया जाय :—

क0 सं0	संवर्ग के कुल पदों की संख्या	संवर्गीय पदों के पदनाम, ग्रेड वेतन एवं निर्धारित संख्या
(1)	(2)	(3)
1.	01	1. 01 पद, उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 अनुमन्य होगा। 2. 15 वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक को पदनाम उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 अनुमन्य कराया जायेगा। 3. उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक के रूप में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक को पदनाम उर्दू अनुवादक सह प्रधान सहायक व ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य होगा।
2.	02	1. 02 पद, उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 अनुमन्य होगा। 2. 15 वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक को पदनाम उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 अनुमन्य कराया जायेगा। 3. उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक के रूप में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक में से वरिष्ठतम् 01 पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक सह प्रधान सहायक व ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य होगा।
3.	03	1. 03 पद, उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक पदनाम एवं ग्रेड वेतन रू0 2000 अनुमन्य होगा। 2. 15 वर्ष की सेवा पर उक्त पदधारक को पदनाम उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक एवं ग्रेड वेतन रू0 2800 अनुमन्य कराया जायेगा। 3. उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक के रूप में 09 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर उक्त पदधारक में से वरिष्ठतम् 01 पदधारक का पदनाम उर्दू अनुवादक सह प्रधान सहायक व ग्रेड वेतन रू0 4200 अनुमन्य होगा।

(iv) उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक से 15 वर्ष की सेवा पर उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक के रूप में उच्चीकृत होने तथा 09 वर्ष की सेवा वाले उर्दू अनुवादक सह वरिष्ठ सहायक से उर्दू

अनुवादक सह प्रधान सहायक के रूप में उच्चीकृत होने को सम्बन्धित पदधारकों की पदोन्नति मानी जाय तथा उनका वेतन निर्धारण शासनादेश दिनांक 08 दिसम्बर, 2008 के प्रस्तर–11 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जाय।

(v) प्रदेश के ऐसे विभागों, जहॉ अनुसूचित जाति/जनजाति हेतु आरक्षित वर्ग की उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक के पदों की रिक्तियॉ उपलब्ध हैं, वहॉ इन रिक्तियों को भरे जाने की अपेक्षित कार्यवाही की जाय, जिससे इस वर्ग के उर्दू जानकार एवं उर्दू अनुवादक सह कनिष्ठ सहायक के पदों पर नियुक्ति हेतु अर्ह अभ्यर्थियों को सेवा में प्रवेश का अवसर मिल सके।

2– कृपया वित्त विभाग के उक्त पत्र दिनांक 08 सितम्बर, 2010 द्वारा संसूचित निर्णयों को उक्त निर्णयों के अनुसार संशोधित रूप में कार्यान्वित किये जाने हेतु आवश्यक शासनादेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत करने का कष्ट करें।

भवदीय,

अजय अग्रवाल
सचिव, वित्त।

संख्या–वे0आ0–2–467(1)/दस–54(एम)/2008टी0सी0, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग–1
(2) कार्मिक नियमावली सेल, उत्तर प्रदेश सचिवालय।
(3) निदेशक, एन0आई0सी0, छठां तल, योजना भवन, लखनऊ को शासनादेश वित्त विभाग की वेबसाइट पर डाले जाने हेतु।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार जोशी)
संयुक्त सचिव।